न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **चेतन देवड़ा**, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 17/2019(रसद)
पंजीयन दिनांक 11.11.2019

राज्य सरकार जरिए थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़

–प्रार्थी

बनाम

1–श्री प्रभूलाल पिता परसराम जाट निवासी हाल राजस्थानी ढ़ाबा का मालिक, बोजुन्दा, थाना सदर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़
2–श्री कन्हैयालाल पिता परसराम तेली निवासी जैवाणा, थाना फतेह नगर, जिला उदयपुर

–विपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितिः– 1–श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 04.02.2020

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 24.10.2019 को श्री कमल प्रसाद मीणा, पुलिस उप अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ को हाईवे रोड़ सरहद बोजुन्दा मेन रोड़ के दक्षिणी तरफ श्री प्रभूलाल पिता परसराम जाट निवासी जैवाणा, थाना फतेहनगर, जिला उदयपुर हाल राजस्थानी ढ़ाबा द्वारा ढ़ाबे पर अवैध रूप से इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टैंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल–पेट्रोल निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करने की जरिए मुखबीर सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच जांच की जहां तीन व्यक्ति को मय प्लास्टिक की केन एवं किमा व नली पकडे हुए टैंकर नम्बर RJ27 GA 7101 व पिकअप संख्या RJ14 GH 2143 के पास टैंकर में से तेल निकाल पिकअप में रखे ड्रम में डालते हुए मिले जो पुलिस जाप्ता देख एक व्यक्ति किमा, नली व केन को छोड़कर भाग गया व दो व्यक्तियों को डिटेन किए गए। डिटेन किए गए व्यक्ति से नाम पूछा तो प्रथम ने स्वयं का नाम प्रभूलाल पिता परसराम जाट निवासी जैवाणा

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

हाल राजस्थानी ढ़ाबा का मालिक व दूसरे ने अपना नाम कन्हैयालाल पिता परसराम तेली निवासी जैवाणा थाना फतेहनगर व पिकअप का चालक होना बताया। उनसे भागने वाले का नाम पूछने पर, भागने वाला व्यक्ति टैंकर नम्बर RJ27 GA 7101 का चालक होना बताया। ढ़ाबे के बाहर खडी गाडी टैंकर व पिकअप के नजदीक पहुंच कर देखा तो पिकअप में तीन लोहे के ड्रम 220 लीटर, प्लास्टिक की नली, तीन प्लास्टिक के किमा, एक 05 लीटर का मेजर व एक 20 लीटर की खाली जरिकेन तथा प्लास्टिक का लोहे के ड्रम खोलने का पाना रखा पाया गया। पुलिस उप अधीक्षक द्वारा जाप्ता के सहयोग से ड्रमों के ढक्कन खोलकर देखा तो ड्रमों के अन्दर तरल पदार्थ पेट्रोल व डीजल होना पाया गया। उक्त डीजल का नाप किया गया तो प्रथम लोहे के ड्रम के अन्दर 140 लीटर पेट्रोल भरा हो बरंग आसमानी व दूसरे ड्रम के अन्दर 190 लीटर डीजल भरा हो अंग्रेजी में VEEDOL लिखा हो बरंग उपर-नीचे काला व बीच में लाल है, तीसरे लोहे के ड्रम के अन्दर 50 लीटर डीजल भरा हो बरंग गहरा नीला है। इस प्रकार कुल तीन लोहे के ड्रम में से एक ड्रम में 140 लीटर पेट्रोल एवं दो लोहे के ड्रम में 240 लीटर डीजल अवैध भरा होना पाया गया। प्रभूलाल जाट से पूछताछ मे मौके पर बताया कि उक्त डीजल व पेट्रोल ढाबे पर आने वाले टैंकर नम्बर RJ27 GA 7101 के चालक से मिलकर टैंकर से पेट्रोल-डीजल चोरी कर ग्राहकों को बेचते हैं। उक्त टैंकर में करीब 15 हजार लीटर डीजल व 5 हजार लीटर पेट्रोल होना बताते हुए उक्त टैंकर में से 40 लीटर पेट्रोल एवं 120 लीटर डीजल टैंकर के चालक के साथ मिलकर निकाला है जिसे कन्हैयालाल के सहयोग से पिकअप मे भर दिया है। इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टैंकरों के चालक हमे उक्त डीजल-पेट्रोल देते हैं। प्रभूलाल एवं कन्हैयालाल से डीजल-पेट्रोल रखने, खरीदने एवं बेचने बाबत लाईसेंस मांगा तो किसी प्रकार का लाईसेंस नहीं होना बताया। भरे हुए लोहे के ड्रमों में से 750-750 एमएल की कांच की बोतलों में पेट्रोल-डीजल निकाल कर सील चिट कर पेट्रोल के नमुना सेम्पल व कन्ट्रोल सेम्पल को क्रमशः ए-1, ए-2 तथा शेष बचे पेट्रोल को उसी ड्रम में भर कर मार्क ए एवं डीजल के प्रथम ड्रम में भरे डीजल में से नमूना व कन्ट्रोल सेम्पल को क्रमशः बी-1, बी-2 शेष उसी ड्रम में रहने दिया जाकर मार्क बी अंकित किया। दूसरे ड्रम में भरे डीजल में से नमूना सेम्पल व कन्ट्रोल सेम्पल को क्रमशः सी-1, सी-2 व शेष बचे डीजल को उसी ड्रम मे भर कर मार्क सी अंकित किया। टैंकर में भरे डीजल व पेट्रोल के अलग-अलग भाग से पेट्रोल का नमूना सेम्पल व कन्ट्रोल सेम्पल क्रमशः डी-1, डी-2 टैंकर के निकासी के मुंह पर मार्क डी इसी प्रकार डीजल के नमूना सेम्पलों व कन्ट्रोल सेम्पलों को क्रमशः मार्क ई-1 व ई 2 शेष बचे डीजल को उसी टैंकर के भाग में रहने दिया जाकर निकासी के मुंह पर मार्क ई अंकित किया गया तथा मौके पर मिले एक प्लास्टिक की नली, तीन प्लास्टिक के किमे, एक 5 लीटर का मेजर, एक

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20 लीटर की प्लास्टिक की खाली जरीकेन बरंग सफेद को जरिये फर्द जब्त कर चिट चस्पा किए। इस प्रकार श्री प्रभूलाल पिता परसराम जाट एवं पिकअप चालक श्री कन्हैयालाल पिता परसराम तेली द्वारा राजस्थानी ढाबे पर आने वाले टैंकर नम्बर RJ27 GA 7101 में से अवैध रूप से कुल 240 लीटर डीजल व 140 लीटर पेट्रोल चोरी कर निकाल कर खरीदना व बेचना जुर्म धारा 3/7 ई. सी. एक्ट व 379 भा. द. सं. का अपराध पाया जाने से टैंकर नम्बर RJ27 GA 7101 तथा कुल 240 लीटर डीजल व 140 लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री को जब्त कर जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण हेतु एवं एक अन्य आवेदन कमांक 10934 दिनांक 15.11.19 से जब्तशुदा पिकअप नम्बर RJ14 GH 2143 के निस्तारण हेतु धारा 6 ए के तहत यह दो आवेदन प्रस्तुत किये गये जो एक ही प्रकरण से संबंधित होने से उन्हें एक साथ समेकित किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अतः बहस प्रकरण पैरोकार सरकार सुनी गई।

प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़, पैरोकार सरकार ने आवेदन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षीगण द्वारा इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टैंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल चोरी से निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोल-डीजल भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोल-डीजल की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा डीजल-पेट्रोल व अन्य उपकरणों को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में जब्तशुदा टैंकर संख्या RJ 27 GA 7101 एवं उसमें भरे हुए पेट्रोल-डीजल का स्वामित्व प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर शिव शंभू फिलिंग स्टेशन प्रो. श्री हेमन्त कुमार लड्ढा निवासी राजसमन्द का प्रमाणित पाया जाने से आदेश दिनांक 31.12.2019 से पूर्व में उसके वैध स्वामी को 25.00 लाख रूपये के जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर रिलीज करने के आदेश दिये जा चुके हैं तथा पिकअप संख्या RJ 14 GH 2143 को प्रकरण संख्या 78/2019 (रे.वि.) में दिनांक 04.02.2020 को पारित निर्णयानुसार उसके वैध स्वामी को 4.00 लाख रूपये का जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर रिलीज करने के आदेश दिये गए हैं।

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 17/2019 (रसद)

राज्य सरकार जरिए थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ बनाम श्री प्रभूलाल पिता परसराम जाट निवासी जैवाणा हाल राजस्थानी ढ़ाबा का मालिक बोजुन्दा वगैरा

विपक्षीगण श्री प्रभूलाल जाट निवासी जैवाणा हाल राजस्थानी ढ़ाबे का मालिक एवं श्री कन्हैयालाल तेली निवासी जैवाणा जिला उदयपुर, राजस्थानी ढ़ाबे पर टैंकर संख्या RJ 27 GA 7101 में से अवैध रूप से पेट्रोल-डीजल निकाल कर ढ़ाबे के बाहर खडे एक अन्य वाहन पिकअप संख्या RJ 14 GH 2143 में रखे ड्रमों में भरते हुए मौके पर पाए गए। मौके पर उक्त पिकअप में तीन लोहे के ड्रम 220 लीटर के जिनमें से एक ड्रम में 140 लीटर पेट्रोल तथा अन्य दो ड्रमों में कुल 240 लीटर डीजल भरा हुआ, प्लास्टिक की नली, तीन प्लास्टिक के किमे, एक 05 लीटर का मेजर व एक 20 लीटर की खाली जरिकेन पाए गए तथा उक्त स्थान पर विपक्षीगण के पास कोई अनुज्ञापत्र व लाईसेन्स नहीं होना पाया गया।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के मध्यनजर विपक्षीगण द्वारा अपने प्रतिष्ठान/होटल पर इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टैंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल चोरी से निकाल कर खरीद फरोख्त का धन्धा करना तथा पेट्रोल-डीजल भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा 240 लीटर डीजल, 140 लीटर पेट्रोल मय अन्य उपकरण व सामग्री राजसात किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए दिनांक 24.10.2019 को जब्तशुदा कुल 240 लीटर डीजल व 140 लीटर पेट्रोल मय लोहे के ड्रम, प्लास्टिक की नली, तीन प्लास्टिक के किमे, एक 05 लीटर का मेजर व एक 20 लीटर की खाली जरिकेन आदि सामग्री को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा कुल 240 लीटर डीजल व 140 लीटर पेट्रोल मय अन्य उपकरणों/सामग्री आदि को थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(चेतन देवड़ा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official